प्रेस नोट दिनाँक 01.07.2025

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

◆ **सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान फर्जी नम्बर प्लेट लगे लग्जरी वाहन से की गई अवैध अंग्रेजी शराब बरामद.**

◆ **43 पेटी में (1935 पाउच ब्लू लाइम) 387 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, बरामद अवैध शराब की अनुमति कीमत ₹ 150000/- है.**

चन्दौली। श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा अवैध शराब तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) व देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय की टीम द्वारा बिहार राज्य के लिए परिवहन की जा रही अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। अवैध अंग्रेजी शराब की कुल 43 पेटी में 1935 पाउच (387 लीटर) बरामद किया गया है। जिसकी अनुमानित कीमत- ₹150000/- आंकी गई है।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनाक 30.06.2025 को उ0नि0 रामप्यारे चौधरी मय को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की स्कार्पियो गाडी में अवैध शराब लाद कर चन्दौली के तरफ से बिहार की तरफ ले जाया जा रहा है।

इस सूचना पर सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा जेठमलपुर तिराहा के पास NH2 हाइवे उत्तरी लेन पर पहुंच कर चन्दौली के तरफ से बिहार की तरफ जाने वाली वाहनो को बेरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करके छोडा जाने लगा, तभी चन्दौली की तरफ से एक सफेद स्कार्पियो गाडी आती हुई दिखाई दी जिसको रोकने का प्रयास करने स्कार्पियो चालक वाहन को छोडकर मौके से फरार हो गया, बरामद स्कार्पियो वाहन की तलाशी में अवैध देशी शराब कुल 43 पेटी (प्रत्येक पेटी मे 45 पाउच ब्लू लाइम 200 ML)बरामद हुई। बरामद स्कार्पियो वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर की जांच करने पर उसपर लगे नम्बर प्लेट UP61U7220 से चेचिस न० MA1TA2MWND2H32950 व इंजन नं. MWD4H18500 पाया गया तथा वाहन स्वामी का नाम सुरेश चौरसिया पुत्र रामाशीष चौरसिया स्थायी पता खेमऊपुर पोस्ट चन्डेश्वर थाना सिधारी जनपद आजमगढ (उ0प्र0) पिन नं. 276128 पाया गया।

उक्त बरामद स्कार्पियो वाहन का भौतिक निरीक्षण करने पर उस पर चेचिस नं. MA1TA2HANA2F48410 अंकित पाया गया जिसका रजिस्टेशन नं. JH01AF7684 इंजन नं. HAA4F33885 वाहन स्वामी अंकित कुमार साहू पुत्र अशोक साहू वर्तमान पता रविपाण्डेय पी एण्ड टी कालोनी विराज नगर लाल पुर नियर डि०ए०वि० नन्द गंज मोर्डेम राची झारखण्ड पिन नं.-834001 स्थायी पता ब्रजापुर पुरुलिया पोस्ट पुरुलिया वेस्ट बंगाल पिन नं. 723202 पाया गया।

वाहन पर अंकित चेचिस नं. के आधार पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन नं. JH01AF7684 व बरामद वाहन पर लगाये गये नम्बर प्लेट नं. UP61U7220 मे भिन्नता पायी जा रही है, इंजन नम्बर का मिलान करने पर मेल पाया गया,

बरामद अवैध शराब अवैध तरीके से फर्जी नम्बर प्लेट लगा कर परिवहन कर अवैध तरीके से बिहार ले जायी जा रही थी, जो धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 319 (2)/318(4) BNS का अपराध है।

बरामद अवैध देशी शराब व बरामद वाहन को अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 319 (2) / 318 (4) BNS मे दिनांक 30/6/25 को समय 20.30 कब्जा पुलिय लिया गया

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 176/2025 धारा 60/63 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम व 319(2)/318(4)BNS थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

बरामदगी

1.43 पेटी मे कुल 1935 पाउच (387 लीटर)

2.एक सफेद स्कार्पियो फर्जी नम्बर प्लेट UP61U7220

(बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रूपये है)

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक - विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

उप निरीक्षक रामप्यारे चौधरी जनपद चन्दौली

हे0का0 शिवशंकर बिन्द थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

का0 गुजंन तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

थाना अलीनगर चन्दौली

◆अलीनगर पुलिस व RPF की संयुक्त कार्यवाही में अवैध गाँजा तस्कर गिरफ्तार

◆5.280 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद, बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 50,000/- रुपये

आदित्य लांग्हे,पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) व देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी सदर पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र की टीम व आरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही के दौरान दिनांक 30.06.2026 की रात में 21.45 बजे चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को अवैध 5.280 किलो ग्राम गांजा के साथ लोको कालोनी जीटीआर ब्रीज के पास से गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शुभम तिवारी पुत्र हौसिला प्रषाद तिवारी निवासी ग्राम परसथ थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर उम्र करीब 26 वर्ष के रूप में हुयी।गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह गांजा भुवनेश्वर उड़ीसा से खरीद कर लाता हूँ तथा मिर्जापुर मे ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे एक बार मे मुझे 8000/ रु0 से 10000/ रु0 तक का मुनाफा होता है।

गिरफ्तार अभियुक्त

शुभम तिवारी पुत्र हौसिला प्रषाद तिवारी निवासी ग्राम परसथ थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर उम्र करीब 26 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 260/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक-30.06.2025

समय-21.45 बजे

स्थान-लोको कालोनी जीटीआर ब्रीज के पास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी

पीठ पर लिये गये पिठ्ठू बैग से 5.280 किलो ग्राम गांजा नाजायज बरामद।

पुलिस टीम

निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अनिल यादव चौकी प्रभारी आलूमील थाना अलीनगर , जनपद चन्दौली।

का0 प्रवेश सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

आरपीएफ टीम

उ0नि0 सुनील कुमार

का0 छोटेलाल यादव

का0 प्रिन्स कुमार।

थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

◆थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक पिकअप में लदे 11 लोहे के ड्रम (7 ड्रम में डीजल तथा 4 ड्रम में पेट्रोल) प्रत्येक 200-200 लीटर लगभग कुल 2200 लीटर अवैध डीजल/पेट्रोल बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा तेल चोरी की ऐसी घटनाओं के प्रभावी रोकथाम व संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) व कृष्ण मुरारी शर्मा क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम व पुर्ति निरीक्षक शिवाश्रय सिंह वि0ख0 नियमताबाद पीडीडीयू नगर चन्दौली के संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा पचफेड़वा में चेकिंग के दौरान एक महिन्द्रा पिकअप संख्या BR 45 GA 8067 पर लदे 11 अदद लोहे के ड्रम (7 लोहे के ड्रम में डीजल तथा 4 लोहे के ड्रम में पेट्रोल) प्रत्येक 200-200 लीटर जिसमें भरा हुआ लगभग 2200 लीटर डीजल/पेट्रोल अवैध रूप से बरामद किया गया तथा पिकअप संख्या BR 45 GA 8067 के ड्राईवर मन्नु कुमार पुत्र स्व मुन्ना सिंह निवासी कोहारी थाना भभुआ जिला कैमूर भभुआ, बिहार को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली पर मु.अ.सं. 259/25 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मन्नु कुमार पुत्र स्व मुन्ना सिंह निवासी कोहारी थाना भभुआ जिला कैमूर भभुआ, बिहार

पंजीकृत अभियोग का विवरण-*

मु.अ.सं. 259/25 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

एक महिन्द्रा पिकअप संख्या BR 45 GA 8067 पर लदे 11 अदद लोहे के ड्रम (7 लोहे के ड्रम में डीजल तथा 4 लोहे के ड्रम में पेट्रोल) प्रत्येक 200-200 लीटर जिसमें मरा हुआ लगभग 2200 लीटर लगभग का भौतिक निरीक्षण किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल टीम-

निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली मय फोर्स

पुर्ति निरीक्षक शिवाश्रय सिंह वि0ख0 नियमताबाद पी.डी.डी.यू नगर चन्दौली